

**जेडीए की जिस प्रवर्तन शाखा पर अवैध निर्माण रोकने का दारोमदार,**

**वही कर रहे कार्यवाही से इंकार!!!**

**जेएलएन मार्ग पर स्थित  
आवासीय भूखंड H-3, H-4, SL मार्ग, लाल बहादुर नगर, चंद्रकांता कॉलोनी  
पर बरसों तक चले मेरीज गार्डन उसके बाद रेस्टोरेन्ट,  
अब इसी जमीन पर बन गए गेम ज़ोन का मामला!!**

**आखिर 10 अक्टूबर को खुल जाएगा  
"सेलिब्रेशन बाय हाउस ऑफ प्ले"**



## जेडीए के ज़ोन 4 में स्थित आवासीय भूखंड संख्या H-3,H-4,SL मार्ग, लाल बहादुर नगर, चंद्रकांता कॉलोनी पर बन रहे गेम ज़ोन "सेलिब्रेशन बाई हाउस ऑफ प्ले" का मामला।

जैसा कि आपके इस मामले की पहली रिपोर्ट में बताया गया था कि जेडीए के ज़ोन 4 में स्थित आवासीय भूखंड संख्या H-3,H-4,SL मार्ग, लाल बहादुर नगर, चंद्रकांता कॉलोनी पर गेम ज़ोन "सेलिब्रेशन बाई हाउस ऑफ प्ले" का निर्माण कार्य चल रहा है और इसका 10 अक्टूबर को उदघाटन किया जाना है। ज्ञातव्य है कि इस भूखंड पर पूर्व में शिवम गार्डन के नाम से मेरेज गार्डन चलाया जा रहा था, जिसे बंद कर रेट्रो नामक रेस्टोरेन्ट चलाया गया। इस वर्ष कोरोना काल के लॉकडाउन में इस रेस्टोरेन्ट की जगह गेम ज़ोन "सेलिब्रेशन बाई हाउस ऑफ प्ले" का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया।

### जेडीए के जिम्मेदार प्रवर्तन अधिकारी कार्यवाही करने की बजाय दे रहे सफाई।

आपको बता दें कि इस मामले को हमारे द्वारा समय रहते जेडीए के संज्ञान में लाया गया था, लेकिन जेडीए ज़ोन 4 के जिम्मेदार प्रवर्तन अधिकारी द्वारा यह कह कर प्रकरण बंद करने की कोशिश की गयी कि **"पूरी रोड पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैं, नीतिगत निर्णय लेकर समान कार्यवाही की जाएगी"** जबकि होना तो यह चाहिए था कि इस अवैध निर्माण को चिन्हिकरण रिपोर्ट के लिए ज़ोन कार्यालय में भेजा जाता और उसके बाद इसे सील करने की प्रक्रिया अपनायी जाती। लेकिन शायद जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों ने इतनी मेहनत करना जरूरी नहीं समझा और टका से जवाब देकर अपने दायित्व से इतिश्री कर ली।

3	Jaipur Development Authority (J D A), Enforcement Officer, ( Zone ), Enforcement Officer - 4	...	Remarks	20-Sep-2021	महोदय पूरी रोड पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैं जिसके संबंध में नीतिगत निर्णय लिया जाकर समान कार्यवाही की जायेगी।
4	Jaipur Development Authority (J D A), Enforcement Officer, ( Zone ), Enforcement Officer - 4	...	Partially Closed :Relief	20-Sep-2021	महोदय पूरी रोड पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैं जिसके संबंध में नीतिगत निर्णय लिया जाकर समान कार्यवाही की जायेगी।

### जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा दिया गया गैर-जिम्मेदाराना जवाब।

जेडीए द्वारा "सेलिब्रेशन" के सामने रोड के दूसरी तरफ के भूखंड संख्या एफ-1,ई-1,ई-10/1 एस-9 से एस-17 लाल बहादुर नगर को गत वर्ष 09/11/2020 को सील किया गया था।



भू.सं. एफ-1, ई-1, ई-10/1, एस-9 से एस-17 लाल बहादुर नगर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।	09.11.2020	भू.सं. एफ-1, ई-1, ई-10/1, एस-9 से एस-17 लाल बहादुर नगर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में व्यवसायिक निर्माण किये जाने के कारण उक्त भवन को सील किया गया।	व्यवसायिक	वर्तमान में सील है।
---------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------------------

**इसी गेम ज़ोन के सामने के भूखंड को जेडीए द्वारा किया जा चुका है सील और इसी रोड पर संचालित शराब की दुकान को जेडीए दे चुका है नोटिस।**

आपको बता दें कि जेडीए प्रवर्तन में लगे हुए पुलिस के इंस्पेक्टर कितनी ही चालबाजियाँ करे, उनकी करतूते जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी से छुपी हुई नहीं है और वह इसके इतर शहर में हो रहे अवैध निर्माणों पर नजर रखने के लिए तीसरी आँख का उपयोग करते हैं। इसी के चलते उनके द्वारा इसी गेम ज़ोन के सामने के भूखंड को जेडीए द्वारा सील किया जा चुका है और इसी रोड पर संचालित शराब की दुकान "दी लिकर मार्ट" को नोटिस दे चुका है यह अलग बात है कि गलत तथ्यों के आधार पर अवैध निर्माणकर्ता ने स्टे ले रखा है। सवाल यह है जब जेडीए इस सड़क पर बन रहे अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है तो फिर जिम्मेदार अधिकारी को इस अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने में परेशानी क्यों हो रही है?

**जेडीए ज़ोन 4 के प्रवर्तन अधिकारी श्री विनोद जाखड़ को अवैध निर्माणकर्ताओं से मिलीभगत के चलते किया गया जेडीए से रवाना।**

आपको बता दें कि अवैध निर्माणकर्ताओं/भूमाफियाओं से साँठ-गाँठ के चलते पूर्व में भी जेडीए के कई प्रवर्तन अधिकारियों को उनके मूल विभाग में भेजा जा चुका है। हाल ही में उन्होंने काम में कोताही बरतने के चलते ज़ोन 4 में तैनात विनोद जाखड़ को रवाना किया है।

## बिना अनुमति, बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए, बिना पार्किंग कैसे चल सकता है यह अवैध गेम ज़ोन "सेलिब्रेशन बाई हाउस ऑफ प्ले"?

आपको बता दें कि जेडीए विनियमों के अनुसार बिना अनुमति, बिना बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए, बिना पार्किंग सुविधा के आवासीय भूखंडों में व्यवसायिक गतिविधियां गैर-कानूनी हैं। जिसके चलते उन्हें सील करने का प्रावधान है लेकिन इसके बावजूद इस अवैध गेम ज़ोन "सेलिब्रेशन" का ना केवल निर्माण किया गया बल्कि इसे जेडीए की प्रवर्तन शाखा के अवैध संरक्षण में 10 अक्टूबर से संचालित भी किया जाएगा।



### जवाब मांगते सवाल?

1. यदि इस आवासीय भूखंड में नियम विरुद्ध व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है तो क्या जेडीए के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिये गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं हैं?
2. जब जेडीए इसी रोड पर पहले भी अवैध निर्माण को सील करने की कार्यवाही कर चुका है तो इसे सील नहीं करने के बहाने क्यों बनाए जा रहे हैं?
3. जेडीए के किस जिम्मेदार अधिकारी द्वारा किस नियम-कानून के तहत इस अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने की बजाय यह जवाब दिया कि "पूरी रोड पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हैं, नीतिगत निर्णय लेकर समान कार्यवाही की जाएगी" ?
4. क्या यह मामला जेडीए के प्रवर्तन नियंत्रक महोदय के संज्ञान में आने के बाद वह इसे सील करने की कार्यवाही करने के आदेश जारी करेंगे? क्या वह संपर्क पोर्टल पर गलत जवाब देने वाले प्रवर्तन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?
5. कौन है इस अवैध गेम ज़ोन का रसुखदार संचालक और इसे किराए पर देने वाला रसुखदार मकान मालिक?

